कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प.14(18)कार्मिक/क–2/96पार्ट जयपुर, दिनांकः 15/1/2007

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष(संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

विषयः–राजस्थान लोक सेवा आयोग को विभिन्न विभागों द्वारा भर्ती हेतु भिजवाई जाने वाली अर्थनाओं में निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या एवं श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख करने बाबत।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कार्मिक विभाग के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले विभिन्न पदों पर चयन करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर आयोग को प्रेषित की जाने वाली अर्थनाओं में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार राजकीय सेवाओं में तीन प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप उनके लिए आरक्षित पदों की संख्या एवं श्रेणी का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है, जबकि निःशक्तजनो के पदो के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा रोस्टर संधारित किया जाता है। इस प्रकार निःशक्तजनों हेतु नियमानुसार आरक्षण की गणना कर, उनके लिए आरक्षित पदों को अर्थना में दर्शाए जाने का दायित्व भी संबंधित विभाग का ही है।

इस संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प. 10(1)कार्मिक/क–2/96 दिनांक 21.07.2006 (बिन्दु सं.–4) में भी विकलांगों (निःशक्तजनों) के आरक्षण के लिए उनकी संख्या एवं श्रेणी अंकित करने हेतु निर्दिष्ट किया हुआ है।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों को पुनः निर्दिष्ट किया जाता है कि राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार आयोग को भेजे जाने वाली अर्थना में निःशक्तजनों हेतु आरक्षित पदों की संख्या एवं श्रेणी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3. आयुक्त, निःशक्तजन, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
6. पंजीयक, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
7. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
8. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
10. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

15/1/07